



5/3

27923  
11/8/22



न्यायालय. अफगिवाविकारी नगर, डा-हा गावठी  
वापस D-2020104600 00494 धारत 98(1) स.सं

जयचन्द्र vs सरकार  
आम निजामपुर मंकिगवा या विधनौट लहो

काजिवा लवनका  
आपूशं डि०, 3/02/2020

य मोजाया-र को लिभो मिलात  
आपूशंको धम्मसिवाका

$$\begin{array}{r} 130 \\ \hline 44 \\ 126 \\ \hline 1078/8/01 \end{array}$$



क 3

मण्डल:- लखनऊ, जनपद:- लखनऊ  
न्यायालय अपर जिलाधिकारी, नगर, ट्रान्स गोमती  
वाद संख्या:- 00494/2020

जयचन्द्र बनाम सरकार  
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-D202010460000494  
अंतर्गत धारा:- 98(1), उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश तिथि:- 03/02/2020

अंतिम आदेश

आदेश

श्री जयचन्द्र पुत्र भोला कोरी, निवासी मिर्जापुर भिटारी, जिला फतेहपुर द्वारा अन्य जिले फतेहपुर का निवासी होने के कारण अपनी प्रश्नगत भूमि अनुसूचित जाति से भिन्न व्यक्ति को विक्रय करने का अनुमति प्रार्थना पत्र 30प्र0 राजस्व संहिता की धारा-98 के अन्तर्गत आर0सी0 प्रपत्र -27 पर प्रस्तुत किया गया, जिसकी जाँच उपजिलाधिकारी, सरोजनीनगर लखनऊ से करायी गयी। उपजिलाधिकारी, सरोजनीनगर लखनऊ से प्रश्नगत प्रकरण की जाँचोपरान्त आख्या संस्तुति सहित प्राप्त हुयी। उपजिलाधिकारी, सरोजनीनगर लखनऊ की आख्या के आधार पर श्री जयचन्द्र पुत्र भोला कोरी, निवासी मिर्जापुर भिटारी, जिला फतेहपुर को ग्राम निजामपुर मझिगवां, परगना बिजनौर, तहसील सरोजनीनगर, जिला लखनऊ स्थित गाटा संख्या 153 रकबा 0.1560हे0, गाटा संख्या 154 रकबा 0.0780हे0 व गाटा संख्या 302 रकबा 0.520हे0 कुल 3 किता कुल रकबा 0.754हे0 भूमि को अनुसूचित जाति से भिन्न व्यक्ति अंसल प्रापटीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 कार्यालय पता- शाँपिंग स्क्वायर सुशान्त गोल्फ सिटी सुल्तानपुर रोड, लखनऊ द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी नीरज झा पुत्र श्री राम नरेश झा निवासी जगन्नाथपुरी कालोनी, जियामऊ राधाकृष्ण मन्दिर, लखनऊ के पक्ष में विक्रय किये जाने की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है। विक्रय के पश्चात विक्रेता के पास कोई भूमि शेष नहीं रह जायेगी।

1. विक्रीत भूमि के स्वत्व /कब्जे के सम्बन्ध में यदि कोई वाद/स्थगन है तो वह प्रभावी रहेगा, यदि कोई तथ्य छिपाकर अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, संज्ञान में आता है तो तत्क्रम में यह अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी और आवेदक एवं क्रेता के विरुद्ध विधि के अनुरूप सुसंगत कार्यवाही की जायेगी। यदि प्रश्नगत भूमि कहीं बंधक होगी या अन्य कोई विवाद उत्पन्न होता है या कोई भेद छिपा पाया जाता है तो यह अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

2. 30प्र0 राजस्व संहिता नियमावली -2016 के नियम -99 के प्रस्तर-8(ड) में उल्लिखित है कि जहाँ विक्रय द्वारा अन्तरण के लिए अनुज्ञा की माँग की जा रही है, भूमि के अंतरण हेतु प्रस्तावित भूमि का कलेक्टर द्वारा नियत सर्किल दर के अनुसार आगणित रकम से कम भुगतान न करना होगा, विक्रेता को मूल्य देयता के संबंध में साक्ष्य स्वरूप विक्रय विलेख निष्पादन के एक सप्ताह के अन्दर विक्रय विलेख की एक प्रति कार्यालय/न्यायालय में अनिवार्यतः प्रस्तुत करनी होगी अन्यथा विक्रय अनुमति निरस्त समझी जायेगी, विक्रय विलेख तथा अन्तरण शून्य माना जायेगा और तदनुसार 30प्र0 राजस्व संहिता में दिए गये प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में अग्रेतर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

3. विक्रय की जा रही भूमि यदि पट्टे द्वारा प्राप्त की गयी है और असंक्रमणीय श्रेणी संक्रमणीय श्रेणी में परिवर्तित हो चुकी है तो विक्रेता इस भूमि के विक्रय के उपरान्त उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के धारा-76(ड) (4) में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम सभा या राज्य सरकार में निहित किसी भूमि के या

Vishwa Bhushan



97827  
11/8/20

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमारोपण अधिनियम, 1960 में यथापरिभाषित अतिरिक्त भूमि के लिए पात्र नहीं रह जायेगा।

4. उक्त विक्रय अनुमति निर्गत तिथि से एक माह तक अनुमन्य होगी।

इस आदेश की प्रति आवेदक श्री जयचन्द्र पुत्र भोला कोरी, निवासी मिर्जापुर भिटारी, जिला फतेहपुर / तहसीलदार सरोजनीनगर लखनऊ/उपनिबंधक तहसील सरोजनीनगर लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय।

Vishwa Bhushan

(विश्व भूषण)

अपर जिलाधिकारी(ट्रांस गोमती)/

अपर कलेक्टर, लखनऊ।

03.02.2020

27/2/20  
11/2/20

आज दिनांक 03.02.2020 को खुले न्यायालय में उक्त आदेश हस्ताक्षरित एवम् उद्घोषित किया गया।

Vishwa Bhushan

(विश्व भूषण)

अपर जिलाधिकारी(ट्रांस गोमती)/

अपर कलेक्टर, लखनऊ।


03.02.2020



प्रार्थना पत्र प्राप्त की तिथि... 11/01/22  
प्रार्थना पत्र तैयार करने की तिथि... 16/2/22  
प्रतिलिपि लेने की तिथि... 16/02/22  
प्रतिलिपि शुल्क .....  
शब्दों की संख्या.....

प्रतिलिपि कर्ता का नाम... Bimal  
प्रतिलिपि कर्ता.....  
तुलना कर्ता.....  
तिथि... 16/02/22

प्रमाणित प्रतिलिपि  
16/02/22  
राजेश्वर अमिलेखागर  
कार्यालय जिलाधिकारी  
लखनऊ



27/2/21  
11/8/2022




न्यायालय अपर जिलाधिकारी सुन्य गोमती लखनऊ

बाद सं - D202010460000496 अन्तर्गत धारा -  
98(1) राजस्व संहिता, ग्राम - निजामपुर माझिगाबां  
परा - बिजनौर, तहसील व जिला - लखनऊ।  
सुरजफेन बनाम सरकार।

तां फें - 3/2/2020

नकल आदेश दिनांक - 3/2/2020 की द्वायाप्रति  
संलग्न है। फोलियो प्रमोडोपरान्त निरस्त किया  
जाता है।





27224  
11/8/22

मण्डल:- लखनऊ, जनपद:- लखनऊ  
न्यायालय अपर जिलाधिकारी, नगर, ट्रान्स गोमती  
वाद संख्या:- 00496/2020

सूरजदीन बनाम सरकार  
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-D202010460000496  
अंतर्गत धारा:- 98(1), उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश तिथि:- 03/02/2020

अंतिम आदेश

आदेश

श्री सूरजदीन पुत्र सुकरू, निवासी मिर्जापुर भिटारी, जिला फतेहपुर द्वारा अन्य जिले फतेहपुर का निवासी होने के कारण अपनी प्रश्नगत भूमि अनुसूचित जाति से भिन्न व्यक्ति को विक्रय करने का अनुमति प्रार्थना पत्र 30प्र0 राजस्व संहिता की धारा-98 के अन्तर्गत आर0सी0प्रपत्र -27 पर प्रस्तुत किया गया, जिसकी जाँच उपजिलाधिकारी, सरोजनीनगर लखनऊ से करायी गयी। उपजिलाधिकारी, सरोजनीनगर लखनऊ से प्रश्नगत प्रकरण की जाँचोपरान्त आख्या संस्तुति सहित प्राप्त हुयी। उपजिलाधिकारी, सरोजनीनगर लखनऊ की आख्या के आधार पर श्री सूरजदीन पुत्र सुकरू, निवासी मिर्जापुर भिटारी, जिला फतेहपुर को ग्राम निजामपुर मझिगवां, परगना बिजनौर, तहसील सरोजनीनगर, जिला लखनऊ स्थित गाटा संख्या 143 रकबा 0.6120हे0 भूमि को अनुसूचित जाति से भिन्न व्यक्ति अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 कार्यालय पता- शॉपिंग स्क्वायर सुशान्त गोल्फ सिटी सुल्तानपुर रोड, लखनऊ द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी नीरज झा पुत्र श्री राम नरेश झा निवासी जगन्नाथपुरी कालोनी, जियामऊ राधाकृष्ण मन्दिर, लखनऊ के पक्ष में विक्रय किये जाने की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है। विक्रय के पश्चात विक्रेता के पास रकबा 0.8055हे0 शेष रह जायेगी।

1. विक्रीत भूमि के स्वत्व /कब्जे के सम्बन्ध में यदि कोई वाद/स्थगन है तो वह प्रभावी रहेगा, यदि कोई तथ्य छिपाकर अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, संज्ञान में आता है तो तत्क्रम में यह अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी और आवेदक एवं क्रेता के विरुद्ध विधि के अनुरूप सुसंगत कार्यवाही की जायेगी। यदि प्रश्नगत भूमि कहीं बंधक होगी या अन्य कोई विवाद उत्पन्न होता है या कोई भेद छिपा पाया जाता है तो यह अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

2. 30प्र0 राजस्व संहिता नियमावली -2016 के नियम -99 के प्रस्तर-8(ड) में उल्लिखित है कि जहाँ विक्रय द्वारा अन्तरण के लिए अनुज्ञा की माँग की जा रही है, भूमि के अंतरण हेतु प्रस्तावित भूमि का कलेक्टर द्वारा नियत सकिल दर के अनुसार आगणित रकम से कम भुगतान न करना होगा, विक्रेता को मूल्य देयता के संबंध में साक्ष्य स्वरूप विक्रय विलेख निष्पादन के एक सप्ताह के अन्दर विक्रय विलेख की एक प्रति कार्यालय/न्यायालय में अनिवार्यतः प्रस्तुत करनी होगी अन्यथा विक्रय अनुमति निरस्त समझी जायेगी, विक्रय विलेख तथा अन्तरण शून्य माना जायेगा और तदनुसार 30प्र0 राजस्व संहिता में दिए गये प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में अग्रेतर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

3. विक्रय की जा रही भूमि यदि पट्टे द्वारा प्राप्त की गयी है और असंक्रमणीय श्रेणी संक्रमणीय श्रेणी में परिवर्तित हो चुकी है तो विक्रेता इस भूमि के विक्रय के उपरान्त उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के धारा-76(ड) (4) में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम सभा या राज्य सरकार में निहित किसी भूमि के या

Vishwa Bhushan





2720  
11/8/22

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमारोपण अधिनियम, 1960 में यथापरिभाषित अतिरिक्त भूमि के पट्टे के लिए पात्र नहीं रह जायेगा।

4. उक्त विक्रय अनुमति निर्गत तिथि से एक माह तक अनुमन्य होगी।

इस आदेश की प्रति आवेदक श्री सूरजदीन पुत्र सुकरू, निवासी मिर्जापुर भित्तारी, जिला फतेहपुर / तहसीलदार सरोजनीनगर लखनऊ/उपनिबंधक तहसील सरोजनीनगर लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय।

Vishwa Bhusha

(विश्व भूषण)

अपर जिलाधिकारी(ट्रांस गोमती)/

अपर कलेक्टर, लखनऊ।

03.02.2020

आज दिनांक 03.02.2020 को खुले न्यायालय में उक्त आदेश हस्ताक्षरित एवम् उद्घोषित किया गया।

Vishwa Bhusha

(विश्व भूषण)

अपर जिलाधिकारी(ट्रांस गोमती)/

अपर कलेक्टर, लखनऊ।

03.02.2020



प्रार्थना पत्र प्राप्त की तिथि 11/8/22  
प्रार्थना पत्र तैयार करने की तिथि 16/8/22  
प्रतिलिपि लेने की तिथि 16/8/22  
प्रतिलिपि शुल्क 13.00  
प्रतिलिपि की संख्या 42

प्रतिलिपि कर्ता का नाम Anu  
प्रतिलिपि कर्ता  
सुलमा कर्ता  
तिथि 16/8/22

प्रमाणित प्रतिलिपि  
16/8/22  
सजस्व अभिलेखागार  
कार्यालय जिलाधिकारी  
लखनऊ



4  
13

आयावप. उपर जिलाधिकारी नगर दामोदरी  
वापस D. 2020 460000 499 धारा 98 (1) रा.सं.

मिस्त्रीलाब vs सरकार

एक निवामपूर कळिकांगवा पर विजनाई लहो 9

जिलाबलनक

आदेश क्रि - 3/02/2020

पुसंगोपान्त को लिभा सिटल

आदेश मेहाया प्रति सलका को 012



27225  
11/1/22



27/3

मण्डल:- लखनऊ, जनपद:- लखनऊ  
न्यायालय अपर जिलाधिकारी, नगर, ट्रान्स गोमती  
वाद संख्या:- 00499/2020  
मिश्रीलाल बनाम सरकार  
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-D202010460000499  
अंतर्गत धारा:- 98(1), उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006  
आदेश तिथि:- 03/02/2020  
अंतिम आदेश

27/25  
11/01/22

### आदेश

श्री मिश्रीलाल पुत्र बांके लाल निवासी मिर्जापुर भिटारी, जिला फतेहपुर द्वारा अन्य जिले फतेहपुर का निवासी होने के कारण अपनी प्रश्नगत भूमि अनुसूचित जाति से भिन्न व्यक्ति को विक्रय करने का अनुमति प्रार्थना पत्र 30प्र0 राजस्व संहिता की धारा-98 के अन्तर्गत आर0सी0प्रपत्र -27 पर प्रस्तुत किया गया, जिसकी जाँच उपजिलाधिकारी, सरोजनीनगर लखनऊ से करायी गयी। उपजिलाधिकारी, सरोजनीनगर लखनऊ से प्रश्नगत प्रकरण की जाँचोपरान्त आख्या संस्तुति सहित प्राप्त हुयी। उपजिलाधिकारी, सरोजनीनगर लखनऊ की आख्या के आधार पर श्री मिश्रीलाल पुत्र बांके लाल निवासी मिर्जापुर भिटारी, जिला फतेहपुर को ग्राम निजामपुर मझिगवां, परगना बिजनौर, तहसील सरोजनीनगर, जिला लखनऊ स्थित गाटा संख्या 155 रकबा 1.058हे0 भूमि को अनुसूचित जाति से भिन्न व्यक्ति अंसल प्रापटीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 कार्यालय पता- शॉपिंग स्क्वायर सुशान्त गोल्फ सिटी सुल्तानपुर रोड, लखनऊ द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी नीरज झा पुत्र श्री राम नरेश झा निवासी जगन्नाथपुरी कालोनी, जियामऊ राधाकृष्ण मन्दिर, लखनऊ के पक्ष में विक्रय किये जाने की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है। विक्रय के पश्चात विक्रेता के पास रकबा 0.0400हे0 शेष रह जायेगी।

1. विक्रीत भूमि के स्वत्व /कब्जे के सम्बन्ध में यदि कोई वाद/स्थगन है तो वह प्रभावी रहेगा, यदि कोई तथ्य छिपाकर अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, संज्ञान में आता है तो तत्क्रम में यह अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी और आवेदक एवं क्रेता के विरुद्ध विधि के अनुरूप सुसंगत कार्यवाही की जायेगी। यदि प्रश्नगत भूमि कहीं बंधक होगी या अन्य कोई विवाद उत्पन्न होता है या कोई भेद छिपा पाया जाता है तो यह अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

2. 30प्र0 राजस्व संहिता नियमावली -2016 के नियम -99 के प्रस्तर-8(ड) में उल्लिखित है कि जहाँ विक्रय द्वारा अन्तरण के लिए अनुज्ञा की माँग की जा रही है, भूमि के अंतरण हेतु प्रस्तावित भूमि का कलेक्टर द्वारा नियत सर्किल दर के अनुसार आगणित रकम से कम भुगतान न करना होगा, विक्रेता को मूल्य देयता के संबंध में साक्ष्य स्वरूप विक्रय विलेख निष्पादन के एक सप्ताह के अन्दर विक्रय विलेख की एक प्रति कार्यालय/न्यायालय में अनिवार्यतः प्रस्तुत करनी होगी अन्यथा विक्रय अनुमति निरस्त समझी जायेगी, विक्रय विलेख तथा अन्तरण शून्य भाना जायेगा और तदनुसार 30प्र0 राजस्व संहिता में दिए गये प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में अग्रेतर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

3. विक्रय की जा रही भूमि यदि पट्टे द्वारा प्राप्त की गयी है और असंक्रमणीय श्रेणी संक्रमणीय श्रेणी में परिवर्तित हो चुकी है तो विक्रेता इस भूमि के विक्रय के उपरान्त उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के धारा-76(ड) (4) में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम सभा या राज्य सरकार में निहित किसी भूमि के या

Vishwa Bhushan



उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमारोपण अधिनियम, 1960 में यथापरिभाषित अतिरिक्त भूमि के पट्टे के लिए पात्र नहीं रह जायेगा।

4. उक्त विक्रय अनुमति निर्गत तिथि से एक माह तक अनुमन्य होगी।

इस आदेश की प्रति आवेदक श्री मिश्रीलाल पुत्र बांके लाल निवासी मिर्जापुर भिटारी, जिला फतेहपुर / तहसीलदार सरोजनीनगर लखनऊ/उपनिबंधक तहसील सरोजनीनगर लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय।

Vishwa Bhushan..

(विश्व भूषण)

अपर जिलाधिकारी(ट्रांस गोमती)/

अपर कलेक्टर, लखनऊ।

03.02.2020

27/225

11/8/22

आज दिनांक 03.02.2020 को खुले न्यायालय में उक्त आदेश हस्ताक्षरित एवम् उद्घोषित किया गया।

Vishwa Bhushan..

(विश्व भूषण)

अपर जिलाधिकारी(ट्रांस गोमती)/

अपर कलेक्टर, लखनऊ।

03.02.2020



प्रार्थना पत्र प्राप्त की तिथि	11.8.22
प्रार्थना पत्र तैयार करने की तिथि	16/08/22
प्रतिलिपि लेने की तिथि	16/08/22
प्रतिलिपि शुल्क	13
शब्दों की संख्या	6/11/22

प्रतिलिपि कर्ता का नाम.....  
प्रतिलिपि कर्ता.....  
जुलना कर्ता.....  
तिथि.....





१४(1) K140



$\frac{3}{13}$

२७२२६  
११/४/२५

जमाबालय अपर क्लेकट (न्यायिक) बखनक

वाद सं.-D-2020/0460066597

द्वारा - १४(1) राठ सं०

केतव्य वमा व ४ सरकार

काक निजामतुत मंगिताया. अजनाट कद

व जिवावबनक

आदेशिक 3-02-2020

पु मंगिताया न फालिओ रिपल

आदेशिक को बपावति हलक





मण्डल:- लखनऊ, जनपद:- लखनऊ  
न्यायालय अपर जिलाधिकारी, (न्यायिक)

वाद संख्या:- 00597/2020

अतुल वर्मा बनाम सरकार

कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :- D202010460000597

अंतर्गत धारा:- 98(1), उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

आदेश तिथि:- 03/02/2020

अंतिम आदेश

आदेश

श्री अतुल वर्मा पुत्र शिव रतन निवासी सी- 32, सेक्टर जे, अलीगंज, जिला लखनऊ द्वारा अपने भवन निर्माण हेतु अपनी प्रश्नगत भूमि अनुसूचित जाति से भिन्न व्यक्ति को विक्रय करने का अनुमति प्रार्थना पत्र 30प्र0 राजस्व संहिता की धारा-98 के अन्तर्गत आर0सी0प्रपत्र -27 पर प्रस्तुत किया गया, जिसकी जाँच उपजिलाधिकारी, सरोजनीनगर लखनऊ से करायी गयी। उपजिलाधिकारी, सरोजनीनगर लखनऊ से प्रश्नगत प्रकरण की जाँचोपरान्त आख्या संस्तुति सहित प्राप्त हुयी। उपजिलाधिकारी, सरोजनीनगर लखनऊ की आख्या के आधार पर श्री अतुल वर्मा पुत्र शिव रतन निवासी सी- 32, सेक्टर जे, अलीगंज, जिला लखनऊ को ग्राम निजामपुर मझिगवां परगना बिजनौर तहसील सरोजनीनगर, जिला लखनऊ स्थित गाटा संख्या 140 रकबा 0.4430 हे० भूमि को अनुसूचित जाति से भिन्न व्यक्ति अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि० कार्यालय पता- शॉपिंग स्क्वायर सुशान्त गोल्फ सिटी सुल्तानपुर रोड, लखनऊ द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी नीरज झा पुत्र श्री राम नरेश झा निवासी जगन्नाथपुरी कालोनी, जियामऊ राधाकृष्ण मन्दिर, लखनऊ के पक्ष में विक्रय किये जाने की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है। विक्रय के पश्चात विक्रेता के पास रकबा 2.0159 हे० शेष रह जायेगी। जो न्यूनतम निर्धारित सीमा से अधिक है।

1. विक्रीत भूमि के स्वत्व / कब्जे के सम्बन्ध में यदि कोई वाद/स्थगन है तो वह प्रभावी रहेगा, यदि कोई तथ्य छिपाकर अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, संज्ञान में आता है तो तत्क्रम में यह अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी और आवेदक एवं क्रेता के विरुद्ध विधि के अनुरूप सुसंगत कार्यवाही की जायेगी। यदि प्रश्नगत भूमि कहीं बंधक होगी या अन्य कोई विवाद उत्पन्न होता है या कोई भेद छिपा पाया जाता है तो यह अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

2. 30प्र0 राजस्व संहिता नियमावली -2016 के नियम -99 के प्रस्तर-8(इ) में उल्लिखित है कि जहाँ विक्रय द्वारा अन्तरण के लिए अनुज्ञा की माँग की जा रही है, भूमि के अन्तरण हेतु प्रस्तावित भूमि का कलेक्टर द्वारा नियत सर्किल दर के अनुसार आगणित रकम से कम भुगतान न करना होगा, विक्रेता को मूल्य देयता के संबंध में साक्ष्य स्वरूप विक्रय विलेख निष्पादन के एक सप्ताह के अन्दर विक्रय विलेख की एक प्रति कार्यालय/न्यायालय में अनिवार्यतः प्रस्तुत करनी होगी अन्यथा विक्रय अनुमति निरस्त समझी जायेगी, विक्रय विलेख तथा अन्तरण शून्य माना जायेगा और तदनुसार 30प्र0 राजस्व संहिता में दिए गये प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में अग्रेतर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

3. विक्रय की जा रही भूमि यदि पट्टे द्वारा प्राप्त की गयी है और असंक्रमणीय श्रेणी संक्रमणीय श्रेणी में परिवर्तित हो चुकी है तो विक्रेता इस भूमि के विक्रय के उपरान्त उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के धारा-76(ड) (4) में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम सभा या राज्य सरकार में निहित किसी भूमि के या

Vishwa Bhushan

33

27226  
11/8/22



उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमारोपण अधिनियम, 1960 में यथापरिभाषित अतिरिक्त भूमि के पट्टे के लिए पात्र नहीं रह जायेगा।

4. उक्त विक्रय अनुमति निर्गत तिथि से एक माह तक अनुमन्य होगी।

इस आदेश की प्रति आवेदक श्री अतुल वर्मा पुत्र शिव रतन निवासी सी- 32, सेक्टर जे, अलीगंज, जिला लखनऊ /तहसीलदार सरोजनीनगर लखनऊ/उपनिबंधक तहसील सरोजनीनगर लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय।

*Vishwa Bhusha*

(विश्व भूषण)

अपर जिलाधिकारी(ट्रांस गोमती)/

अपर कलेक्टर, लखनऊ।

03.02.2020

2722  
11/8/22

आज दिनांक 03.02.2020 को खुले न्यायालय में उक्त आदेश हस्ताक्षरित एवम् उद्घोषित किया गया।

*Vishwa Bhusha*

(विश्व भूषण)

अपर जिलाधिकारी(ट्रांस गोमती)/

अपर कलेक्टर, लखनऊ।

03.02.2020



प्रार्थना पत्र प्राप्त की तिथि	11-8-22
प्रार्थना पत्र तैयार करने की तिथि	16-8-22
प्रतिलिपि लेने की तिथि	16-8-22
प्रतिलिपि शुल्क	
शब्दों की संख्या	

प्रतिलिपि कर्ता का नाम *S. M. J. J.*

प्रतिलिपि कर्ता

तुलना कर्ता

तिथि 16/8/22







4  
13.00

97222  
11/8/2022

न्यायालय उपर जिलाधिकारी दानेश गोमती लखनऊ

बाद सं - D20201046000099। अन्तर्गत धारा -  
98(1) राजस्व संहिता, ग्राम - निजामपुर मस्जिदगं,  
पर - बिजनौर, तहसील व जिला - लखनऊ।  
श्रीराम बनाम सरकार।

तां फं - 11-02-2020

नकल आदेश दिनांक - 11-02-2020 की दायरप्रति  
संलग्न है फोटो प्रयोगोपघान्त निरस्त किया  
जाता है।





27222  
11/8/2022

मण्डल:- लखनऊ, जनपद:- लखनऊ  
न्यायालय अपर जिलाधिकारी, नगर, ट्रान्स गोमती  
वाद संख्या:- 00991/2020  
श्रीराम बनाम सरकार  
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-D202010460000991  
अंतर्गत धारा:- 98(1), उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006  
आदेश तिथि:- 11/02/2020  
अंतिम आदेश

आदेश

श्रीराम पुत्र रामदीन निवासी 115, सदर, जिला रायबरेली द्वारा अन्य जिले रायबरेली का निवासी होने के कारण अपनी प्रश्नगत भूमि अनुसूचित जाति से भिन्न व्यक्ति को विक्रय करने का अनुमति प्रार्थना पत्र 30प्र0 राजस्व संहिता की धारा-98 के अन्तर्गत आर0सी0प्रपत्र -27 पर प्रस्तुत किया गया, जिसकी जाँच उपजिलाधिकारी, सरोजनीनगर लखनऊ से करायी गयी। उपजिलाधिकारी, सरोजनीनगर लखनऊ से प्रश्नगत प्रकरण की जाँचोपरान्त आख्या संस्तुति सहित प्राप्त हुयी। उपजिलाधिकारी, सरोजनीनगर लखनऊ की आख्या के आधार पर श्रीराम पुत्र रामदीन निवासी 115, सदर, जिला रायबरेली को ग्राम निजामपुर मझिगवां, परगना बिजनौर, तहसील सरोजनीनगर, जिला लखनऊ स्थित गाटा संख्या 139 रकबा 0.2380हे0 भूमि को अनुसूचित जाति से भिन्न व्यक्ति अंसल प्रापर्टीज एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि0 कार्यालय पता- शॉपिंग स्क्वायर सुशान्त गोल्फ सिटी सुल्तानपुर रोड, लखनऊ द्वारा अधिकृत हस्ताक्षरी नीरज झा पुत्र श्री राम नरेश झा निवासी जगन्नाथपुरी कालोनी, जियामऊ राधाकृष्ण मन्दिर, लखनऊ के पक्ष में विक्रय किये जाने की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान की जाती है। विक्रय के पश्चात विक्रेता के पास रकबा 1.209हे0 शेष रह जायेगी।

1. विक्रीत भूमि के स्वत्व/कब्जे के सम्बन्ध में यदि कोई वाद/स्थगन है तो वह प्रभावी रहेगा, यदि कोई तथ्य छिपाकर अनुमति हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, संज्ञान में आता है तो तत्क्रम में यह अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी और आवेदक एवं क्रेता के विरुद्ध विधि के अनुरूप सुसंगत कार्यवाही की जायेगी। यदि प्रश्नगत भूमि कहीं बंधक होगी या अन्य कोई विवाद उत्पन्न होता है या कोई भेद छिपा पाया जाता है तो यह अनुमति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

2. 30प्र0 राजस्व संहिता नियमावली -2016 के नियम -99 के प्रस्तर-8(ड) में उल्लिखित है कि जहाँ विक्रय द्वारा अन्तरण के लिए अनुज्ञा की माँग की जा रही है, भूमि के अंतरण हेतु प्रस्तावित भूमि का कलेक्टर द्वारा नियत सर्किल दर के अनुसार आगणित रकम से कम भुगतान न करना होगा, विक्रेता को मूल्य देयता के संबंध में साक्ष्य स्वरूप विक्रय विलेख निष्पादन के एक सप्ताह के अन्दर विक्रय विलेख की एक प्रति कार्यालय/न्यायालय में अनिवार्यतः प्रस्तुत करनी होगी अन्यथा विक्रय अनुमति निरस्त समझी जायेगी, विक्रय विलेख तथा अन्तरण शून्य माना जायेगा और तदनुसार 30प्र0 राजस्व संहिता में दिए गये प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में अग्रेतर विधिक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

3. विक्रय की जा रही भूमि यदि पट्टे द्वारा प्राप्त की गयी है और असंक्रमणीय श्रेणी संक्रमणीय श्रेणी में परिवर्तित हो चुकी है तो विक्रेता इस भूमि के विक्रय के उपरान्त उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के धारा-76(ड) (4) में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम सभा या राज्य सरकार में निहित किसी भूमि के या

Vishwa Bhushan





2

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमारोपण अधिनियम, 1960 में यथापरिभाषित अतिरिक्त भूमि के पट्टे के लिए पात्र नहीं रह जायेगा।

4. उक्त विक्रय अनुमति निर्गत तिथि से एक माह तक अनुमन्य होगी।

इस आदेश की प्रति आवेदक श्रीराम पुत्र रामदीन निवासी 115, सदर, जिला रायबरेली /तहसीलदार सरोजनीनगर लखनऊ/उपनिबंधक तहसील सरोजनीनगर लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाय।

Vishwa Bhusan

(विश्व भूषण)

27222

11/8/22

अपर जिलाधिकारी(ट्रांस गोमती)/

अपर कलेक्टर, लखनऊ।

11.02.2020

आज दिनांक 11.02.2020 को खुले न्यायालय में उक्त आदेश हस्ताक्षरित एवम् उद्घोषित किया गया।

Vishwa Bhusan

(विश्व भूषण)

अपर जिलाधिकारी(ट्रांस गोमती)/

अपर कलेक्टर, लखनऊ।

11.02.202



प्रार्थना का नाम की तिथि 11/8/22  
 प्रार्थना का तैयार करने की तिथि 16/8/22  
 प्रतिलिपि लेने की तिथि 16/8/22  
 प्रतिलिपि शुल्क 1300  
 शब्दों की संख्या 6/22

प्रतिलिपि कर्ता का नाम Pan  
 प्रतिलिपि कर्ता RD  
 तुलना कर्ता  
 तिथि 16/8/22

प्रमाणित प्रतिलिपि  
 राजस्व अमलखाना  
 कालिय जिलाधिकारी  
 लखनऊ